कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 293 दिनांक 14.06.2019

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाडा (राज.)

विषय :– राष्ट्रीय राजमार्ग 927–ए के विस्तारीकरण, चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत जिला बांसवाडा में ग्राम वजवाना से बांसवाडा के बिच में प्रभावीत हो रही 4.99 हैक्टयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दूरभाष पर प्राप्त निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय राजमार्ग 927–ए के विस्तारीकरण, चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत ग्राम वजवाना से बांसवाडा के सेक्शन में 4.99 हैक्टयर वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु वन विभाग की सीमा से लगती हुई ग्राम पाटन पटवार मण्डल पाटन तहसील बागीदौरा के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 297, 298, 830, 832, व 832 / 3003 में क्रमशः रकबा 1.99है0, 0.20है0, 3.97है0, 4.09है0 व 1.09है0 कुल रकबा 11.25है0 श्रीसरकार गैर वन भूमि उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रभावित रकबा 4.99है0 के समतुल्य उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 832 रकबा 4.09है0 तथा आराजी नम्बर 832 / 3003 रकबा 1.09है0 में से 0.90है0 कुल रकबा 4.99है0 भूमि वन विभाग के नाम आरक्षित / आवंटन किये जाने की अनुशंसा की जाकर पत्रावली श्रीमान् की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– रिपोर्ट मय मौका पर्त्रा।

(डॉ. अमित यादव)IAS
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बागीदौरा जिला बांसवाडा